

कार्यालय जिलाधिकारी, खगड़िया।

पत्रांक-...../30

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
खगड़िया।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

Sl
Enal

खगड़िया, दिनांक- 21-03-18

विषय:- बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत अधिहरित वाहनों की खुली नीलामी हेतु विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 16 के अन्तर्गत अधिहरित वाहनों की नीलामी सूचना को व्यापक प्रचारार्थ राज्य के सभी प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु विज्ञप्ति का प्रारूप छः प्रतियों में संलग्न कर उचित क्रियार्थ प्रेषित की जाती है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न सूचना/विज्ञप्ति को यथाशीघ्र प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक:-यथोक्त(सी0 डी0 सहित)।

विश्वासभाजन,

जिलाधिकारी,
खगड़िया।

जापांक 155 /3., दिनांक 21-03-18

प्रतिलिपि- पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ।

प्रतिलिपि- नजारत उपसमाहर्ता खगड़िया को सूचनार्थ। आदेश दिया जाता है कि इच्छुक व्यक्तियों से वर्णित विवरणी के अनुसार वाहनों का अग्रधन की राशि प्राप्त करेंगे तथा नीलामी के पश्चात अधीक्षक उत्पाद के प्रतिवेदन अनुसार शेष नीलामी राशि प्राप्त करेंगे, असफल उम्मीदवारों का अग्रधन वापस करेंगे तथा प्राप्त राशि को नियमानुसार चालान द्वारा कोषागार (शीर्ष-0070608000020) में जमा कराएंगे।

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा खगड़िया को सूचनार्थ।

प्रतिलिपि- सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी खगड़िया को सूचनार्थ।

प्रतिलिपि- उत्पाद अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आदेश अनुपालनार्थ।

प्रतिलिपि- सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी खगड़िया /आईटी मैनेजर खगड़िया को जिला के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-सभी थानाध्यक्ष-खगड़िया जिला। आदेश दिया जाता है कि सूची के अनुसार वाहनों को दि. 31-03-18 को जे.एन.के.टी.के मैदान में लायेंगे तथा बचे वाहनों को शाम में वापस ले जायेंगे।

जिलाधिकारी
खगड़िया।

कार्यालय जिलाधिकारी, खगड़िया।

(उत्पाद शाखा)

आम नीलामी सूचना संख्या:-03/2017-18

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत विभिन्न थाना कार्डों से संबंधित समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया द्वारा पारित अधिहरण आदेश के आलोक में अधिहरित वाहनों की खुली नीलामी दिनांक 31-03-18 को जे.एन.के.टी.मैदान, खगड़िया में तथा शेष बचे वाहनों की नीलामी प्रत्येक मंगलवार को (अवकाश के दिन को छोड़कर तथा वाहन की नीलामी संपन्न होने तक) अपराह्न 2:00 बजे अधीक्षक उत्पाद खगड़िया की देखरेख में कार्यालय कक्ष में की जाएगी। इच्छुक व्यक्ति नीलामी में भाग ले सकते हैं, जिसकी विवरणी एवं शर्तें निम्नलिखित हैं।

क्रमांक	अधिहरण वाद सं.	थाना का नाम	थाना का वाद सं.	गाड़ी संख्या	गाड़ी का प्रकार	वाहन का निर्धारित न्यूनतम मूल्य (रु.में)	अग्रधन की राशि (रु.में) 10%
1	01/2016-17	खगड़िया	631/2016	BR34A-9949	मोटर सायकिल	21000	2100
2	02/2016-17	खगड़िया	687/2016	BR09M-4126	मैक्सिमो भान	80000	8000
3	02/2016-17	खगड़िया	687/2016	BR34P-2673	टेम्पू	50000	5000
4	04/2016-17	मानसी	242/2016	Chechis-MMT601484 EPN31144	टाटाइंडिगो कार	200000	20000
5	08/2017-18	खगड़िया	222/2017	BR53B-4554	हुंडई	85000	8500
6	57/2017-18	खगड़िया	326/2017	BR34C-2571	मोटर सायकिल	21000	2100
7	07/2017-18	खगड़िया	211/2017	BR34K-0748	मोटर सायकिल	12000	1200
8	03/2016-17	खगड़िया	50/2017	BR1PB-9960	सफारी	190000	19000
9	02/2017-18	खगड़िया	149/2017	DL3CAX-5134	इंडिका	65000	6500
10	83/2017-18	मानसी	134/2017	BR34K-1706	मोटर सायकिल	15000	1500
11	70/2017-18	मानसी	118/2017	BR34K-7996	मोटर सायकिल	35000	3500
12	08/2016-17	पसराहा	126/2016	BR34K-5944	मोटर सायकिल	25000	2500
13	23/2017-18	चौधम	54/2017	ENGIN-B1209J15	टेम्पू	50000	5000
14	22/2017-18	परबता	128/2017	BR43F-8204	मोटर सायकिल	18000	1800
15	06/2016-17	पसराहा	129/2016	BR10H-8863	मोटर सायकिल	15000	1500
16	24/2017-18	चौधम	70/2017	BR34P-2844	टेम्पू	50000	5000
17	26/2017-18	बेलदौर	112/2016	BR34H-0252	मोटर सायकिल	19000	1900
18	29/2017-18	बेलदौर	84/2017	BR19G-9243	पिकअप	150000	15000
19	25/2017-18	बेलदौर	52/2017	BR34H-9294	मोटर सायकिल	18000	1800
20	56/2017-18	महेशखुंट	64/2017	Chechis-MD63UBEU3HZC17 983F	मोटर सायकिल	15000	1500
21	89/2017-18	चित्रगुप्त नगर	483/2017	BR34-9545	मोटर सायकिल	15000	1500
22	71/2017-18	मानसी	137/2017	BR01BD-2573	इंडिगो कार	175000	17500

इच्छुक व्यक्ति को नीलामी के दिन अप.2:00 बजे तक अधीक्षक उत्पाद कार्यालय खगड़िया में अग्रधन की राशि बैंक ड्राफ्ट
रसीद के रूप में जमा करना होगा। नीलामी में सफल व्यक्ति का अग्रधन की राशि नीलामी राशि में समायोजित होगा तथा
सफल व्यक्तियों का अग्रधन वापस कर दिया जाएगा। नीलामी से मुकरने वाले व्यक्ति का अग्रधन जप्त कर लिया जाएगा।
नीलामी में सफल व्यक्ति को तीन कार्यदिवसों के भीतर नीलामी राशि जिला नजारात खगड़िया में जमा करना होगा अन्यथा
अग्रधन जब्त कर ली जाएगी तथा नीलामी रद्द किया जाएगा। नीलामी में सफल क्रेता को नियमानुकूल सभी देय कर का भुगतान
निर्धारित प्राधिकार को करना होगा।

नीलामी जो है- जहां है- जैसा है के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति संबंधित थाना में जाकर वाहन देख सकते हैं।
नीलामी की कारवाई नीलामी राशि जमा होने के पूर्व तक उच्च न्यायालय के आदेश से प्रभावित होगी।

विशेष जानकारी के लिए अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया से संपर्क किया जा सकता है।

जिलाधिकारी
खगड़िया।